

**\*प्रेस नोट\***

**\*दिनांक 26.11.2022\***

**\*पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में आज दिनांक:- 26.11.2022 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण\*:-**

- थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान टॉप-10 अपराधी ऋषभ पुत्र सुदेश निवासी ग्राम कंजर बसेड़ा थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को मय अवैध असलहा तमंचा व 03 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना मंडी धनौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना बछरायूं पुलिस द्वारा नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करना व जबरदस्ती शादी के लिये दबाव डालने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त अमन राज पुत्र संतराम उर्फ बसंतराम निवासी ग्राम महमुला ढाकी थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बछरायूं पुलिस द्वारा चोरी के अभियोगों में वांछित चल रहा अभियुक्त शारिक पुत्र शाकिर निवासी मौ0 पीरजादगान थाना बछरायूं जनपद अमरोहा को मय चोरी किये हुये कुल 2600/- रुपये व पर्स सहित गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रजबपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान शातिर अपराधी जुगनू पुत्र बाबू निवासी ग्राम व थाना रजबपुर जनपद अमरोहा को मय अवैध असलहा तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रजबपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त 1. ओमप्रकाश पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम बीझनपुर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा 2. भगवत पुत्र होरी लाल निवासी ग्राम बहादुरपुर मिश्र थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को मय 20-20 लीटर अवैध कच्ची शराब व 3. भागमल पुत्र घासीराम निवासी ग्राम खड़करानी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को मय 20 पच्चे अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आदमपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति व थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।